R.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Lecturer
sub. Evidence

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना

यह धारा कहती है कि दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय अन्य सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य से साबित किये जा सकते हैं। मौखिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 में दी गई है जो कथन साक्षी न्यायालय के समक्ष जांचाधीन तथ्यों के विषय में करते हैं वे मौखिक साक्ष्य की कोटि में आते हैं। इस धारा के मुताबिक कोई मौखिक साक्ष्य दस्तावेज के अन्तर्गत बताया होता उसके समर्थन में कथन की आवश्यकता नहीं करती और कथन की अभिलेखित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तात्विक दस्तावेज अपने आप में साक्ष्य है और सर्वोत्तम मानी जाती है। प्राथमिक दस्तावेज उपलब्ध न होने पर द्वितीयक साक्ष्य आवश्यक हो जाता है कि साक्ष्य अभिलेखित करने के लिए मौखिक साक्ष्य अन्तर्वस्तु साबित करने के लिए अनुमत देता है।

कैसे कोई किसी व्यक्ति के कथनों को मौखिक साक्ष्य कहते हैं या दस्तावेजी साक्ष्य अधिक ही किया जाता है किन्तु जब के बिना पर्याप्त होता है, किन्तु जब कोई उनके मौखिक साक्ष्य परस्पर विरोधी होते हैं विश्वसनीयता न हो तो व्यक्तियों अतः उनके कथन को अविश्वास करने में प्रतीत में सकते हैं।

जो कोई दस्तावेज लिखित ही माना जाएगा और उसे साक्ष्य के लिए बुलाया जाए तो कि दस्तावेज ठीक से लिखा गया है।

मुसलमानों द्वारा लिखी गयी वसीयत और उनके द्वारा निष्पादित दान विलेख ऐसे दस्तावेज नहीं हैं जिनका अनुप्रमाणक विधि द्वारा अपेक्षित है।

दस्तावेज पर लिखे गये नाम और साक्षी जिनका हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर होती साक्षी के प्रकट करने पर पाया जाता के दस्तावेज लिखने वाले का अनुसार दस्तावेज लिखने के लिये न्यायालय दस्तावेज साबित करने के लिये न्यायालय से बुलाया जा सकता है कि अमुक ने लिखी गयी और दस्तावेज उसके सामने ने लिखी गयी और दस्तावेज उसके सामने बनाया गया तब किसी को पढ़कर सुनाया गया तब किसी को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों ने अपना अपनी मर्जी के उपस्थिति में अपना अनुप्रमाणक हस्ताक्षर बनाया था वही अनुप्रमाणक हस्ताक्षर बनाया था वहीं को साबित करनी पड़ती है।

हस्ताक्षर लेख या मुद्रा किसी विशिष्ट व्यक्ति की है या नहीं स्पष्ट यह तथ्य साक्षियों के साक्ष्य

की और उनके सत्य वादिता की परीक्षा उपलब्ध विधिक साधनों से की जाने के बाद ही उनका महत्व आंका जा सकता है।

स्मृति को ताजी करना - जब कोई साक्षी जब की वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख सके जो कि स्वयं उसने संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में उससे प्रश्न किया जा रहा है और न्यायालय उसे संभाव्य है कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।

साक्षी अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो साक्षी द्वारा उपयुक्त किया गया हो समय पर पढ़ा गया हो।

जब कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता तब वह न्यायालय की आज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा। जब न्यायालय समाधान हो कि लेख अपनी निकाल लिया हो तो लेखक अपनी स्मृति लेखन का देख ताजी कर सकता है।